

यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्रधानाचार्या, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बौराड़ी, टिहरी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रधानाचार्या, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बौराड़ी, टिहरी के माह 12/2018 से 09/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री जोगिंदर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ), श्री ललित मोहन सिंह बिष्ट, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री प्रदीप कुमार मौर्या, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 06.02.2021 से 12.02.2021 तक श्री रणवीर सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-1

- परिचयात्मक:** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री महेश चंद, पर्यवेक्षक द्वारा श्री राज बहादुर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 15.12.2018 से 19.12.2018 तक सम्पादित की गयी थी, जिसमें माह 05/2013 से 11/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।
- इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र:** कार्यालय प्रधानाचार्या, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बौराड़ी, टिहरी का मुख्य कार्य संस्थान में तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। शासन के पत्र संख्या 1034/XLI-B-1/2019-7 दिनांक 22 मई 2019 एवं प्रशिक्षण निदेशालय के आदेश संख्या 6176/डीटीयू/विलय/2020 दिनांक 22 अक्टूबर 2020 के अनुपालन में संस्थान का विलय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नई टिहरी में दिनांक 23.10.2020 को किया जा चुका है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं।

(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
2018-19	-	-	62.11	54.66	-	-
2019-20	-	-	8.23	51.93	-	-
2020-21 (till 09/2020)	-	-	2.69	22.92	-	-

(ब) केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैं।

(` में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य	बचत
2018-19	शून्य					
2019-20						
2020-21						

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखंड शासन द्वारा किया जाता है। इकाई "सी" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

- प्रमुख सचिव/सचिव, प्रशिक्षण एवं सेवाएँ, उत्तराखंड
- अपर सचिव/ निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवाएँ, उत्तराखंड
- अपर निदेशक/ संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवाएँ, उत्तराखंड
- प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि:** लेखापरीक्षा में प्रधानाचार्या, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बौराड़ी, टिहरी को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय प्रधानाचार्या, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बौराड़ी, टिहरी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2019 एवं 10/2019 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय एवं भिन्न वित्तीय वर्षों के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग- दो 'अ'

प्रस्तर:01-निर्धारित मानकों के अनुरूप संस्थान का उच्चीकरण न होने के कारण प्रदत्त केन्द्रीय सहायता (`2.50 करोड़) का अलाभकारी सिद्ध होना तथा योजना प्रावधानों के विरुद्ध `1.53 करोड़ व्यय एवं `60.00 लाख का अवरोधन।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक की अवधि के दौरान राज्य के कुल 43 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को पी.पी.पी.मोड (Public Private Partnership Mode) में औद्योगिक पार्टनर के माध्यम से उच्चीकृत एवं संचालित करने हेतु चयनित किए गए थे। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बौराड़ी, टिहरी के उच्चीकरण/संचालन हेतु चयनित औद्योगिक पार्टनर M/s HIFEED

(Himalayan Institute for Environment, Ecology & Development), देहरादून था और योजना संचालन हेतु एक त्रिपक्षीय Memorandum of Agreement हस्ताक्षरित किया गया था जिसे वर्ष 2014-15 में संशोधित कर पुनः हस्ताक्षरित किया गया था। योजना के तहत भारत सरकार द्वारा संस्थान प्रबंधन समिति को `2.50 करोड़ के

First Party	The Director General/Joint Secretary, Ministry of Labour & Employment, GoI, New Delhi.
Second Party Industry Partner	M/s Himalayan Institute for Environment, Ecology & Development (HIFEED), Dehradun.
Third Party	The Executive Director, HIFEED Campus, Ranichauri Tehri (as Chairperson of this IMC).

ब्याजमुक्त ऋण की सहायता प्रदान की गई थी जिसे स्वयं समिति द्वारा तैयार एवं राज्य स्टेयरिंग कमेटी (State Steering Committee) द्वारा अनुमोदित संस्थान विकास योजना (Institute Development Plan) के अनुसार प्रयोग किया जाना था। संस्थान प्रबंधन समिति उक्त ब्याजमुक्त ऋण को 10 वर्षों की रोक अवधि (Moratorium Period) के उपरान्त 11वें वर्ष से 10 समान किश्तों में भारत सरकार को वापस किया जाना था।

कार्यालय प्रधानाचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बौराड़ी, टिहरी के लेखा अभिलेखों में उक्त योजना से संबन्धित अभिलेखों के अवलोकन (फरवरी 2021) में पाया गया था कि न तो भारत सरकार द्वारा प्रदत्त उक्त वित्तीय सहायता का प्रबंधन योजना प्रावधानों के अनुसार था और न ही संस्थान का प्रबंधन/संचालन राज्य स्टेयरिंग कमेटी (SSC) द्वारा अनुमोदित संस्थान विकास योजना (IDP) के अनुसार निमन्वत सम्भव हो पाया था:

1. अनुमोदित संस्थान विकास योजना (IDP) के अनुसार संस्थान को उच्चिकृत करने हेतु प्रथम फेज में तीन नये ट्रेड (1-Electrician, 2-Fitter, 3-Draftsman Civil) खोले जाने थे जिसके लिए `258.90 लाख¹ का परिव्यय अनुमोदित था।

लेखा परीक्षा में पाया गया था कि इस संस्थान में आजतक एक भी नया ट्रेड संचालित नहीं हो पाया था बावजूद इसके संस्थान प्रबंधन समिति द्वारा योजना राशि में से `153.07 लाख² का व्यय संस्थान में पहले से उपलब्ध ट्रेडों (COPA एवं Hair & Skincare) के संचालन हेतु किया गया था। अतः

¹ Civil work- `100 lakh, Equipment- `85.00 lakh, Furniture- `16.00 lakh, Books/learning resources/ Software- `4.00 lakh, Additional Man-power- `22.00 lakh, Consumables & Training Material- `18.00 lakh, Miscellaneous Expenditure- `15.00 lakh.

² Civil work- `96.42 lakh, Equipment- `28.43 lakh, Furniture- `7.74 lakh, Books/learning resources/ Software- `0.015 lakh, Additional Man-power- `12.70 lakh, Consumables & Training Material- `2.25 lakh, Miscellaneous Expenditure- `5.52 lakh.

स्पष्ट था कि किया गया यह सम्पूर्ण व्यय `153.07 लाख योजना प्रावधानों के विरुद्ध एवं व्ययावर्तन की श्रेणी का था क्योंकि यह धनराशि उपरोक्त वर्णित तीन नये ट्रेडों के लिए अनुमोदित थी न की संस्थान में पहले से उपलब्ध ट्रेडों के संचालन हेतु।

2. संस्थान विकास योजना (IDP) के अंतर्गत संस्थान में तत्समय संचालित कुल 03 ट्रेड (1-COPA, 2-Hair & Skincare, 3-Cutting & Sewing) की 03 यूनिटों को बढ़ाकर 05 यूनिट (COPA-02 यूनिट, एवं Hair & Skincare-02 यूनिट) कर उच्चिकृत किया जाना था।

लेखा परीक्षा में पाया गया था कि संस्थान में उपरोक्तानुसार यूनिटों की बढ़ोतरी/उच्चीकरण नहीं हो पाया था। वस्तुतः तीसरी ट्रेड (Cutting & Sewing) को पूर्णत बंद किया जा चुका है और अन्य दो ट्रेडों (COPA एवं Hair & Skincare) में पूर्व की भांति एक-एक यूनिट ही संचालित हो रही है।

3. योजना प्रावधानों के अनुसार कुल प्रदत्त ब्याजमुक्त ऋण की सहायता में से 20 प्रतिशत तक की राशि को सीड मनी (Seed Money) के रूप किसी राष्ट्रीय बैंक में सावंधिक जमा के रूप में रखा जाना था और संस्थान के सभी आवश्यक व्यय के उपरान्त `1.00 करोड़ से अधिक की अवशेष योजना राशि (व्याज को सम्मिलित करते हुए), यदि कोई हो, तो उसे भारत सरकार को वापस लौटाया जाना था।

लेखा परीक्षा में पाया गया था कि इस संस्थान द्वारा `50 लाख की सीड मनी (Seed Money) के अलावा `50 लाख की एक अन्य सावंधिक जमा बैंक ऑफ बड़ोदा, बौराड़ी, टिहरी में रखी गई थी। इसके अतिरिक्त, संस्थान की प्रबंधन समिति के बैंक खाते में किए जा चुके व्ययों के उपरान्त विगत पाँच वर्षों में निरन्तर `60 लाख से अधिक की धनराशि अवशेष थी जिसमें से भारत सरकार को कुछ भी वापस नहीं किया गया था। इस प्रकार, स्पष्ट था कि संस्थान प्रबंधन समिति द्वारा उक्त `60 लाख की अतिरिक्त योजना राशि को विगत पाँच वर्षों से अनियमित रूप से रोक कर रखा गया था।

4. योजना प्रावधानों के अनुसार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के संचालन हेतु औद्योगिक पार्टनर से भी आर्थिक सहयोग अपेक्षित था।

लेखा परीक्षा में पाया गया था कि संस्थान के पी.पी.मोड (Public Private Partnership Mode) के औद्योगिक पार्टनर M/s HIFEED (Himalayan Institute for Environment, Ecology & Development) द्वारा इस संस्थान संचालन हेतु स्वयं से कोई आर्थिक सहयोग प्रदान नहीं की गई थी।

5. उत्तराखंड शासन द्वारा जारी शासनादेश स0-2034 दिनांक 22-05-2019 के अनुपालन में इस औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (बौराड़ी) का विलय 23 अक्टूबर 2020 से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नई टिहरी के साथ कर दिया गया था। अतः वर्तमान में यह संस्थान पी.पी.पी.मोड (Public Private Partnership Mode) के बजाय पूर्ण रूप से राजकीयकृत है। हालांकि, भारत सरकार की संधर्वित योजना अवधि चालू होने के कारण गठित संस्थान प्रबंधन समिति को अभी भंग नहीं किया गया है।

इस प्रकार, उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर लेखा परीक्षा में पाया गया था कि संस्थान इस केन्द्रीय योजना के वांछित लक्ष्यों के प्राप्त करने में पूर्णत विफल रहा और संस्थान को ऋण के रूप में प्रदत्त `2.50 करोड़ की केंद्रीय सहायता अलाभकारी सिद्ध हुई क्योंकि संस्थान में न तो नये ट्रेडों का संचालन हो पाया और नाहि पहले से चल रहे ट्रेडों हेतु यूनिटों की संख्या में बढ़ोतरी। इसके अतिरिक्त, संस्थान प्रबंधन समिति द्वारा उपरोक्तानुसार किया गया `1.53 करोड़ व्यय एवं `60.00 लाख का अवरोधन भी योजना प्रावधानों के विरुद्ध था।

ए.एम.जी-1/प्रतिवेदन संख्या-130/2020-21

इन उल्लेखित प्रकरणों को लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर प्रधानाचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बौराड़ी, टिहरी द्वारा उल्लेखित तथ्यों को स्वीकारते हुए मात्र यह उत्तर दिया था कि उत्तराखण्ड शासन द्वारा मितव्ययता आदेश के क्रम में तथा ITI-टिहरी एवं ITI-बौराड़ी के मध्य कम दूरी होने के दृष्टिगत इस ITI का विलय ITI-टिहरी में किया गया है परन्तु प्रशिक्षण की दृष्टि से दोनों संस्थानों के MIS Code भिन्न है। हालांकि, योजना के वांछित उद्देश्यों के अप्राप्त रहने तथा अनियमित व्यय के मूल बिन्दुओं पर कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया था।

अतः योजना के निर्धारित मानकों के अनुरूप संस्थान का उच्चीकरण न होने के कारण प्रदत्त केन्द्रीय सहायता (₹2.50 करोड़) का अलाभकारी सिद्ध होने तथा योजना प्रावधानों के विरुद्ध ₹1.53 करोड़ व्यय एवं ₹60.00 लाख के अवरोधन ये प्रकरण शासन के संज्ञान में लाये जाने हेतु प्रकाश में लाये जाते हैं।

भाग III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
195/2018-19	-	1,2	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि आख्या अगले उच्चतर अधिकारी को संस्तुति हेतु प्रेषित की गई है।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

--- शून्य ---

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रधानाचार्या, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बौराड़ी, टिहरी तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य

2. सतत् अनियमितताएं: शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:

क्र. सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री संजीव कुमार	प्रधानाचार्य	21.07.2017 से 29.04.2019 तक
2.	श्री सुरेन्द्र सिंह	प्रधानाचार्य	30.04.2019 से 30.08.2019 तक
3.	सुश्री पल्लवी	प्रधानाचार्या	31.08.2019 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय प्रधानाचार्या, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बौराड़ी, टिहरी को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ ए.एम.जी.- 1, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून- 248195 को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

ए.एम.जी. - 1